प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 09.05.2025

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल व घटना में प्रयुक्त कार बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक खजनी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 164/25 धारा 109 भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त 1.अर्जुन चौहान व 2. आसिफ को 01 अदद अवैध पिस्टल व घटना में प्रयुक्त कार के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाक 08.05.2025 को वादी मुकदमा का पुत्र चारपहिया से बारात जा रहा था कि पशु बाजार धपिया थाना खजनी के पास एक अन्य कार (बलेनो UP 32 NU 8423) से अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र की गाड़ी को ओवरटेक कर जान से मारने की नियत से अवैध पिस्टल से फायर किया गया जिससे वादी का पुत्र व उसका मित्र गंभीर रूप से घायल हो गये। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.अर्जुन चौहान पुत्र बेचू लाल चौहान निवासी बेलघाट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

2.आसिफ पुत्र इस्लाम खान निवासी बेलघाट उमर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध पिस्टल व घटना में प्रयुक्त कार

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 164/25 धारा 109 भा0न्या0सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अर्चना सिंह थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. व0उ0नि0 बलराम यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 मनोज कुमार थाना खजनी जनपद गोरखपुर
4. कां0 विनीत यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर
5. कां0 यादवेश यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर
6. कां0 हिरण यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर